वित्तीय स्वीकृति/आयोजनेत्तर

संख्याः 1494/XVII-3/2010-01(बजट)/2010

प्रेषक,

बी0आर0 टम्टा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-3 देहरादून: दिनांकः 22 दिसम्बर, 2010

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या-15 के आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशियों की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 2062/स0क0/लेखा-प्रा0ध0अ0/2010-11 दिनांक 04 सितम्बर, 2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:187/XXVII(1)/2010 दिनांक 30 मार्च, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या-15 के आयोजनेत्तर पक्ष की अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशियों को संलग्नक के अनुसार ₹ 90,000/- हजार (रुपये नब्बे हजार मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में वित्त विभाग के उक्त शासनादेश में प्राविधानित एवं निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्याः 187/XXVII(1)/2010 दिनांक 30 मार्च, 2010 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
3. अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
4. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
5. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
6. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आंवटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या-15 तथा आयोजनेत्तर शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
7. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

8. मितव्ययता के संबंध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
9. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय–सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
11. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
12. समस्त चालू निर्माण कार्य, नए निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय, वाहन का क्रय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टेयर का क्रय की स्वीकृतियों के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को पृथक से उपलबध कराएं।
13. बी0एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनाऐं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
14. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के अंतर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित लेखाशीषकों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।
15. यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्याः 379(P)XXVII(3)-11 दिनांक 21 दिसम्बर, 2010 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे है।

<u>संलग्नकः यथोपरि।</u>

भवदीय,

(बी0आर0 टम्टा)
अपर सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्याः 1494 (1)/XVII-3/2010-01(बजट)/2010 तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढवाल, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनु सचिव।

2312002